[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं.43/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. (अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 1071(अ), तारीख 28 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 26/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 28 अगस्त, 2017 को, सिवाय उन बातों के, जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 65 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-6** में जुलाई, 2017, अगस्त, 2017 और सितम्बर, 2017 मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा का 15 नवम्बर, 2017 तक विस्तार करता है।

[फाइल सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार